



Neutral Citation No. - 2025:AHC:52983

न्यायालय संख्या - 65

प्रकरण:- आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 37165 सन् 2024

आवेदक :- अमन कुमार लोधी

विपक्षी :- उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक के अधिवक्ता :- विजय प्रकाश चतुर्वेदी

विपक्षी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल.

1. सूची संशोधित की गई है।
2. श्री विजय प्रकाश चतुर्वेदी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता साथ ही श्री अरुण कुमार मिश्रा, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक केस क्राइम संख्या 92 सन् 2024, धारा 376-D, 395, 412 भा.द.सं., थाना - जोगिया उदयपुर, जिला - सिद्धार्थ नगर में विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।

अभियोजन कथानक:

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट सात अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने दिनांक 24.06.2024 को रात्रि 00:45 से 01:40 बजे के बीच पीड़िता को अपने प्रेमी के साथ संलिप्त देखकर उसके साथ बलात्कार किया।

आवेदक की ओर से तर्क:

5. आवेदक को छल पूर्वक उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपित उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अभियुक्त का नाम नहीं है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. आवेदक का नाम सह-अभियुक्त रामदीन के पुलिस के समक्ष इकबालिया बयान में आया है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से प्रभावित है।

8. आवेदक के विरुद्ध एक कीपैड मोबाइल और 200/- रुपये तथा एक कान की बाली की झूठी बरामदगी के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

9. उक्त मोबाइल और कान की बाली की पहचान विवेचना एजेंसी द्वारा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं कराई गई है।

10. यहां तक कि आवेदक का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में प्रावधानित शिनाख्त परेड भी नहीं कराया गया।

11. यह स्पष्ट रूप से झूठा फंसाने का मामला है।

12. आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की मिथ्यता को प्रदर्शित करने के लिए आवेदक की ओर से कई अन्य प्रस्तुतियां की गई हैं। परिस्थितियां जो, अधिवक्ता के अनुसार, आवेदक के झूठे फंसाए जाने का कारण बनीं, पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।

13. आवेदक 29.06.2024 से जेल में निरुद्ध है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

राज्य की ओर से तर्क:

14. जमानत आवेदन का विरोध किया गया है परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रस्तुतियों और यह तथ्य कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, का खंडन नहीं किया जा सका।

निष्कर्ष:

15. "दोष सिद्ध होने तक निर्दोष की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत, जमानत को नियम और कारावास को अपवाद के रूप में अवधारणा को जन्म देता है।

16. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है जब तक कि दोष उचित संदेह से परे स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कहता है कि किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं छीना जा सकता, और प्रक्रिया न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने *सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य, 2022 INSC 690* में दोहराया है।

17. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने *मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595* के मामले में, पुनः जोर दिया है कि विधि का अति सुस्थापित सिद्धांत कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना है, को भूला नहीं जाना चाहिए। यह समय आ गया है कि न्यायालयों को सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।

18. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं बता सके जो आवेदक को जमानत से इनकार करने का औचित्य सिद्ध करें।

19. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसी महत्वपूर्ण विशिष्टताएं या परिस्थितियां नहीं दिखाई गई हैं जो यह सुझाएं कि आवेदक न्याय से भागेगा या न्याय के मार्ग में बाधा डालेगा या अपराधों की पुनरावृत्ति या साक्षियों को धमकाने जैसी अन्य समस्याएं उत्पन्न करेगा।

20. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, लंबित विचारण और अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन *स्वीकृत* किया जाता है।

21. आवेदक - *अमन कुमार लोधी*, जो उपरोक्त केस क्राइम में संलिप्त है, को एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियां प्रत्येक समान धनराशि की संबंधित न्यायालय के संतोष के अनुरूप प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप विरचन और (3) धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बयान अभिलेखित करने की नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करना खुला होगा।

22. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां साक्षियों के कथन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायाधीश को अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

आदेश दिनांक :- 10.4.2025

प्रिया

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)